श्रीधर सी0 भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण के द्वारा दिनांक 21.10.2013 को अनुमण्डल कार्यालय, चकिया का किये गये निरीक्षण की अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी।

1. **परिचय** :– अनुमंडल कार्यालय, चकिया का सृजन दिनांक–26.4.94 को हुआ है। यह कार्यालय मोतिहारी मुख्यालय से पूर्व दिशा में लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय उच्च पथ सं0 28 से आधा किमी0 दक्षिण में अवस्थित है। अनुमण्डल कार्यालय चकिया रेलवे स्टेशन से लगभग एक किमी0 उत्तर में अवस्थित है।

इस अनुमण्डल का कुल क्षेत्रफल 99673.30 हेक्टेयर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस अनुमण्डल की कुल आबादी 7,84,802 है, जिसमें पुरूष 4,08,633, महिला 3,76,168 एवं अन्य 1 है। इस अनुमण्डल के अधीन 04 प्रखंड/अचंल कार्यालय यथा– चकिया, केसरिया, कल्याणपुर एवं मेहसी तथा 03 नगर पंचायत चकिया, केसरिया एवं मेहसी हैं, सम्बद्ध है। इस अनुमण्डल में कुल 73 ग्राम पंचायत तथा 301 राजस्व ग्राम है, जिसमें 06 बेचिरागी हैं।

अनुमंडल की चौहददीः– उ0– पकड़ीदयाल अनुमण्डल
द0– गंडक नदी
पूर्व– मुजफ्फरपुर जिला
प0– सदर अनुमण्डल एवं अरेराज अनुमण्डल।

2. **ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलः**–

इस अनुमण्डल के केसरिया अंचल में राज्य उच्च पथ के बगल में विश्व का सर्वाधिक ऊँचा बौद्ध स्तूप है, जिसकी ऊँचाई पूर्व में 150 फीट थी जो वर्त्तमान में लगभग 105 फीट है और जो बौद्ध सर्किट पर अवस्थित है। इसके दर्शन के लिए देश–विदेश से पर्यटक आते हैं। सरकार के सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–2659 दिनांक–30.07.2013 के आलोक में केसरिया बौद्ध स्तूप के निकट पर्यटकों की सुविधाओं के विकास हेतु भूस्थानान्तरण अभिलेख संख्या–15/2013–2014 एवं भू अर्जन अभिलेख संख्या–01/2013–2014 का प्रस्ताव पर्यटन विभाग की स्वीकृत्ति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया के पत्रांक–2266 दिनांक–07.10.2013 के द्वारा अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को भेजा है।

इस अनुमण्डल के मेहसी अंचल में दाता मिर्जा हलिम साह का मजार अवस्थित है जिसके बगल में उनके अनुयायी संत बाबा महेश की पुन्य स्थली भी है जिसके दर्शनार्थ लोग दूर–दूर से आते हैं।

केसरिया अंचल में एन0एच0 28 के पास पूर्वी एवं पश्चिमी सरोतर पंचायत में सरोतर झील(मन) है जिसमें प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। इसका विकास अधिसूचित पक्षी अभयारण्य के तौर पर किया जा सकता है।

चकिया अंचल के भुवनछपरा पंचायत में माधोपुर गोविन्द ग्राम में आम नागरिकों द्वारा तकरीबन 200 मोर पक्षी का संरक्षण एवं देख–रेख किया जाता है।

3. **भवन** :– अनुमण्डल भवन का निर्माण विश्व बैंक सम्पोषित योजना के तहत वर्ष 2010 में पूरा कराया गया है तथा दिसम्बर 2010 से इसी भवन में कार्यरत है। भू–तल के कमरों के बायें बगल में अवर निबंधन कार्यालय संचालित है तथा दाहिने बगल आर0टी0पी0एस0 कक्ष है। प्रथम तल के कमरों में अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय कक्ष, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का कार्यालय कक्ष, कार्यपालक दण्डाधिकारी का कक्ष, अवर निर्वाचन पदाधिकारी का कक्ष एवं अनुमण्डल सहायक कक्ष स्थापित किया गया है। शेष कमरों में गोपनीय प्रशाखा/नजारत प्रशाखा एवं अनुमण्डल स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारी के लिए कार्यालय प्रकोष्ट स्थापित किए गये हैं।

द्वितीय तल्ले पर अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय संचालित है, जिसमें एक कमरा कार्यालय के रूप में एवं एक कमरा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। द्वितीय तल्ले पर एक बड़ा हॉल उपलब्ध है जिसको सभा कक्ष के रूप में विकसित किया जा सकता है।

अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया को निदेश दिया गया कि इस हॉल में कुर्सी, टेबुल एवं माईक की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता तथा अनुमण्डल कार्यालय के कर्मचारीगणों के लिए आवासीय भवन का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। बताया गया कि पूर्व में अनुमण्डल पदाधिकारी, चकिया चीनी मिल के निदेशक के बंगले में रहते थे, जिसको वर्ष 2010 में चीनी मिल को हस्तगत कर दिया गया था। वर्त्तमान में अनुमण्डल पदाधिकारी निरीक्षण भवन, मोतिहारी में रहते है तथा कर्मचारीगण निजी किराया का मकान में आवास लेकर रह रहे है।

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया के कार्यालय के ठीक सामने जल संसाधन विभाग का कार्यालय एवं आवासीय परिसर उपलब्ध है। रोड के बायीं ओर जल संसाधन विभाग का खाली जमीन उपलब्ध है। यह जमीन अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चकिया के आवास के लिए उपयुक्त है।

अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया को निदेश दिया गया कि उक्त भूमि के हस्तानान्तरण हेतु प्रस्ताव यथाशीध्र भेजना सुनिश्चित करें ताकि इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजा जा सके।

4. पदाधिकारी/कर्मी की पदस्थापन की स्थिति :– अनुमण्डल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के कार्यालय कक्ष में पूर्व से पदस्थापित अनुमण्डल पदाधिकारियों एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं की सूची/पदस्थापन अवधि सूचना पट पर अंकित है। वर्त्तमान में श्री कौशल किशोर भा0प्र0से0, अनुमण्डल पदाधिकारी के पद पर दिनांक 27.08.2012 से एवं श्री आशीष नारायण, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पद पर दिनांक 01.07.2013 से पदस्थापित हैं। इसके पूर्व श्री संजय शर्मा, अनुमण्डल पदाधिकारी के प्रभार में थे जो भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पद पर पदस्थापित थे।

श्री किशोर प्रसाद, अनुमण्डल कार्यालय के प्रधान सहायक के पद पर दिनांक 12.07.2013 से कार्यरत है। इसके पूर्व श्री नवल किशोर सिंह, प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत थे। प्रधान सहायक के पदस्थापन संबंधी सूचना पट्ट दिवाल पर लगा हुआ पाया गया।

इस अनुमण्डल में सरकारी सेवकों के स्वीकृत बल एवं पदस्थापन की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्तियाँ	वेतन षीर्ष
1	अनुमण्डल पदाधिकारी	01	01	0	2053
2	कार्यपालक दण्डाधिकारी	02	01	01	2053
3	प्रधान लिपिक	01	01	0	2053
4	लिपिक	03	04 (01 तुरकौलिया प्रखण्ड से प्रतिनियुक्त)	0	2053
5	आशुलिपिक	02	01 (प्रतिनियुक्ति पर)	01	2053
6	टंकक	01	0	01	2053
7	चालक	01	01	0	2053
8	कार्या0 परिचारी	04	03	01	2053
राजस्व एवं भूमि सुधार प्रशाखा					
9	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता	01	01	0	2029

10	प्रधान लिपिक	01	0	01	2029
11	लिपिक	03	01	02	2029
आपूर्ति प्रशाखा					
12	स0 जिला आपूर्ति पदाधिकारी	01	00	01	3456
13	प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी	04	02	02	3456
निर्वाचन प्रशाखा					
14	अवर निर्वाचन पदाधिकारी	01	01	0	2015

इस कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों के पदस्थापन की तिथि निम्न प्रकार से है:–

क्रमांक	नाम	पदनाम	पदस्थापन की तिथि
1	श्री कौशल किशोर	अनुमण्डल पदाधिकारी	27.08.2012
2	श्री आशीष नारायण	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता	01.07.2013
3	श्रीमति सुनिता साहु	कार्यपालक दण्डाधिकारी	03.05.2010
4	श्री संजय कुमार	अवर निर्वाचन पदाधिकारी	28.01.2011
5	श्री किशोर प्रसाद	प्रधान सहायक	12.07.2013
6	श्री नवल किशोर सिंह	सहायक	11.07.'2011
7	श्री पुरूषोत्तम प्रसाद	सहायक	12.08.2012
8	श्री गंगा प्रसाद ठाकुर	सहायक	21.08.2010
9	श्री धीरेन्द्र कुमार सुमन	सहायक	04.08.2013
10	श्री विनोद राम	कार्या0 परिचारी	07.08.2006
11	श्री चन्द्रिका साह	कार्या0 परिचारी	23.02.2006
12	श्री नागेन्द्र कुमार	कार्या0 परिचारी	01.10.2007
13	श्री मुकुल कुमार	चालक	25.02.2009
14	अजय कुमार सिन्हा	प्र0आ0पदा0, मेहसी	09.08.2011
15	श्री जयप्रकाश नारायण	प्र0आ0पदा0, कल्याणपुर	01.07.2010

5. कार्यालय प्रबंधन :– कार्यालय की सफाई संतोषजनक पाई गई। सभी लिपिकों को गोदरेज का आलमीरा आवंटित है। जिसमें संचिकाओं का रख–रखाव सुव्यवस्थित पाया गया। आवंटित कार्यो की तालिका सहायकों के सीट के पीछे टंगा हुआ पाया गया। सभी सहायकों के टेबल पर नाम पट्टिका रखी हुई है।

अनुमण्डल पदाधिकारी का भ्रमण कार्यक्रम संबंधी संचिका संधारित है। निरीक्षण टिप्पणी हेतु विभिन्न विभागवार अलग–अलग रक्षी पंजी संधारित है।

6. पूर्व निरीक्षण :– इस अनुमण्डल का पूर्व में निम्न निरीक्षी पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया है।

क्रमांक	निरीक्षी पदा0 का नाम	पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
01	श्री विनय कुमार, भा0प्र0से0	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।	13.07.2005	15.07.2005	24.01.2006
02	श्री जीवन कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।	25.11.2006	13.12.2006	15.02.2007

03	श्री गुप्तेश्वर प्रसाद	अनुमण्डल पदाधिकारी,चकिया	14.06.2007	16.06.2007	25.07.2007
04	श्री कौशल किशोर भा०प्र०से०	अनुमण्डल पदाधिकारी, चकिया	27.09.2013	28.09.2013	08.10.2013

चारों पदाधिकारियों की निरीक्षण टिप्पणी एवं अनुपालन प्रतिवेदन निरीक्षण टिप्पणी रक्षी संचिका में संधारित है।

7. अनुक्रमणी पंजी :– अनुक्रमणी पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है। इस पंजी के अनुसार प्राप्त पत्रों पर संचिकाओं का प्रधान सहायक द्वारा संग्रहण अंकित किया जाता है। कुल 33 संग्रह शीर्ष अंकित है।

8. पंजियों का पंजी:– कार्यालय में पंजियों का पंजी संधारित है।

9. सेवा पुस्त स्टाफ पंजी :– इस अनुमंडल में पदस्थापित कर्मियों की सेवा पुस्त पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है।
(क) गंगा प्रसाद ठाकुर, लिपिक की सेवा पुस्त का अवलोकन किया गया। यह सेवा पुस्त विधिवत् ढंग से संधारित किया गया है।

(ख) श्री जय प्रकाश नारायण, प्र0आ0पदा0, कल्याणपुर के सेवा पुस्त का अवलोकन किया गया। इनको वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक–1.7.2010 तक संधारित है। वेतन का सत्यापन दिनांक–31.10.13 तक किया गया है। अवकाश लेखा की अंतिम प्रविष्टि वर्ष 2006 तक किया गया है।

(ग) श्री विनोद राम, कार्यालय परिचारी के सेवा पुस्त का अवलोकन किया गया। वेतन भुगतान के आधार पर सेवा सत्यापन किया हुआ पाया गया। दिनांक–1.7.2011 तक वार्षिक वेतन वृद्धि अंकित है। जिला लेखा पदाधिकारी के द्वारा वेतन निर्धारण का सत्यापन दिनांक–11.1.12 को किया गया है।

निदेश दिया गया कि सभी कर्मियों का स्थायी पता संधारित करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, सभी कर्मियों का प्रभार पंजी तैयार किया जाए। संबंधित लिपिक को सभी कर्मियों का वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन का सत्यापन एवं अवकाश लेखा को सेवा पुस्त में अद्यतन करने का निदेश दिया गया।

10. पत्राचार :– इस कार्यालय के सामान्य शाखा में प्राप्त पत्रों तथा निर्गत पत्रों की पंजी अलग–अलग संधारित है। विगत तीन वर्षो की प्राप्ति एवं निर्गत पत्रों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र0	वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या	निर्गत पत्रों की संख्या	
			प्रधान	अप्रधान
1	2011	1831	–	1419
2	2012	1742	06	1915
3	2013 (15.10.2013 तक)	1327	152	2341

11. राजस्व शाखा :– राजस्व शाखा में भी आगत पत्रों एवं निर्गत पत्रों की पंजी संधारित है। जिसकी विवरणी निम्नवत है :–

क्रमांक	वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या	निर्गत पत्रों की संख्या	
			प्रधान	अप्रधान
1	2011	191	–	351
2	2012	305	–	474
3	2013 (15.10.2013 तक)	288	–	575

12. सैरात :– सैरात पंजी विधिवत संधारित है। अंचलवार सैरात की स्थिति निम्नवत है :–

क्र0	अंचल का नाम	सैरातो की संख्या
1	केसरिया	29
2	मेहसी	33
3	कल्याणपुर	20
4	चकिया	24
	कुल योग	**106**

सैरात पंजी के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि इस अनुमंडल में कुल–106 सैरात हैं। वर्ष 2013–14 में सैरातों की बन्दोवस्ती से संबंधित विवरणी उपलब्ध नहीं कराई गई। **अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वर्ष 2013–14 में की गई सैरातों की बन्दोवस्ती से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

13. भूमि बंदोबस्ती वाद पंजी :– राजस्व शाखा में भूमि बंदोबस्ती वाद पंजी विधिवत संधारित है। वर्षवार एवं अंचलवार की गयी बंदोबस्ती से संबंधित विवरणी निम्नवत है :–

क्र0	अंचल का नाम	वर्ष 2009–10		वर्ष 2010–11		वर्ष 2011–12		वर्ष 2012–13		वर्ष 2013–14	
		संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कल्याणपुर	02	0.21/2	–	–	–	–	9	0.24	8	0.17
2	चकिया	05	0.15	–	–	–	–	–	–	–	–
3	केसरिया	–	–	–	–	4	0.12	36	1.03	–	–
4	मेहसी	–	–	–	–	–	–	3	0.09	–	–
	कुल	**07**	**17.5**	**–**	**–**	**4**	**0.12**	**48**	**1.36**	**8**	**0.17**

महादलित परिवारों के बीच गैरमजरूआ आम भूमि की बंदोबस्ती से संबंधित 7 अभिलेख, जिसमें लाभान्वित परिवारों की संख्या 114 है, का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को इस कार्यालय के पत्रांक 1104 दिनांक 07.05.2013 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। महादलित परिवारों के बीच में गैरमजरूआ आम भूमि बंदोबस्ती हेतु अंचलाधिकारी, कल्याणपुर एवं केसरिया से प्राप्त अभिलेख जो त्रुटि पूर्ण थी उसे सुधार करने हेतु अंचलाधिकारी, कल्याणपुर एवं केसरिया को उपलब्ध कराया गया है।

14. आपदा एवं सहायय् :– खेत व खलिहान में अग्निकांड में क्षति हुए फसल के अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति की पंजी कार्यालय में संधारित हैं। बताया गया कि वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में ऐसे मामले नहीं आये हैं। **अग्निकांड से पीड़ित वैसे व्यक्ति, जिनको आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है और वे बी0पी0एल0 के तहत आते हैं। ऐसे मामलों में विगत पॉच वर्षों की समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया को दिया गया।**

15. कर्मपुस्तिका :– लिपिकों का कर्म पुस्तिका संधारित है। प्रत्येक माह के अंत में कर्म पुस्तिका में लंबित पत्रों की विवरणी निम्नलिखित प्रपत्र में अंकित करने का निदेश दिया गया :

विगत माह में लंबित पत्रों की संख्या	वर्तमान माह में प्राप्त पत्रों की संख्या	कुल पत्रों की संख्या	माह में निष्पादित पत्रों की संख्या	माह के अंत में लंबित संख्या
1	2	3	4	5

यह भी निदेश दिया गया कि कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रधान सहायक के द्वारा नियमित रूप से कर्म पुस्तिका का निरीक्षण किया जाएगा तथा लम्बित महत्वपूर्ण पत्रों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधान सहायक प्रत्येक माह में समाहरणालय के मासिक बैठक में कर्म पुस्तिका की लम्बित विवरणी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

16. जन शिकायत :– माननीय मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव/सेवा यात्रा से प्राप्त आवेदनों के निष्पादन हेतु लंबित आवेदन विभिन्न विभागों/कार्यालयों को भेजा गया है। अनुमंडल/जिला जनता दरबार से प्राप्त आवेदनों का अलग–अलग पंजी संधारित है। अनुमण्डल जनता दरबार प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को आयोजित की जाती है। प्राप्त आवेदनों को उसी दिन पंजीबद्ध करके संबंधित विभाग के प्रभारी पदाधिकारी को निष्पादनार्थ हस्तगत करा दिया जाता है। अनुमण्डल जनता दरबार में आवेदकों को पावती रसीद भी दिया जाता है।

इस कार्यालय में कुल प्राप्त परिवाद–पत्र, निष्पादित एवं लंबित पत्रों की स्थिति निम्न प्रकार लंबित है :–

क्रमांक	स्तर	कुल प्राप्त	निष्पादित	लंबित
1	मुख्यमंत्री सेवा यात्रा	28	15	13
2	मुख्यमंत्री सचिवालय	49	34	15
3	जिला जनषिकायत कोषांग	121	83	38

अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया को निदेश दिया गया कि लंबित परिवाद–पत्रों का निष्पादन एक माह में सुनिश्चित करें।

17. आपूर्ति :– इस अनुमण्डल में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के दो पद तथा सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के 01 पद रिक्त है। चकिया में अंचल अधिकारी, चकिया एवं केसरिया में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सदर मोतिहारी प्रभार में है। अनुमण्डल अन्तर्गत विभिन्न प्रखंडों के आपूर्ति के प्रभार में निम्न उल्लेखित पदाधिकारी है :–

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	प्राधिकृत प्रखंड क्षेत्र
01	श्री रविरंजन जमैयार, अंचल अधिकारी, चकिया (प्रभार में)	चकिया/चकिया नगर पंचायत
02	श्री अजय कुमार सिन्हा, प्र0आ0पदा0, मेहसी	मेहसी/मेहसी नगर पंचायत
03	श्री अमानुल्लाह खॉं (प्रभार में) प्र0आ0पदा0, सदर मोतिहारी,केसरिया प्रभार में	केसरिया/केसरिया नगर पंचायत
04	श्री जय प्रकाश नारायण प्र0आ0पदा0, कल्याणपुर	कल्याणपुर

जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सभी रिक्त पदों पर प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी को पदस्थापित करने के लिए प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अनुरोध पत्र प्रेषित करेंगे।

(क) प्रखंडवार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की विवरणी :–

क्रमांक	प्रखंड / नगर पंचायत का नाम	वर्त्तमान में कार्यरत दुकानों की संख्या	निलंबित दुकानों की सं0	रद्द दुकानों की सं0 (वर्ष 2013)
1	2	3	4	5
01	केसरिया	80	02	02
02	केसरिया नगर पंचायत	9	....	....
03	मेहसी	52	....	03
04	मेहसी नगर पंचायत	16	....	....
05	चकिया	108	05	02
06	चकिया नगर पंचायत	27	10	....
07	कल्याणपुर	153	05	....
	कुल	**445**	**22**	**07**

(क) **रोस्टर पंजी** :– निरीक्षण के कम में जन वितरण प्रणाली की दुकानों से संबंधित आरक्षण पंजी की मॉग की गई। परन्तु इस अनुमंडल में आरक्षण रोस्टर पंजी से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। **अनुमंडल पदाधिकारी को जन वितरण प्रणाली की दुकानों से संबंधित आरक्षण रोस्टर पंजी तैयार करने का निदेश दिया गया।**

(ख) **एस0आई0ओ0 पंजी** :– यह पंजी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम के द्वारा निर्गत किया जाता है। इस पंजी के माध्यम से प्रत्येक जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता के द्वारा खाद्यान्न एवं किरासन तेल की विवरण एवं कूपन से संबंधित विवरणी अंकित की जाती है। इस पंजी को प्रखंडवार संधारित करने का निदेश दिया गया।

निरीक्षण के कम में बताया गया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में प्रत्येक दो माह पर जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण किया जाना है। **अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी दुकानों की सूची तैयार कर निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। साथ ही, उन्हें विभागीय निदेश के आलोक में अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन करने का निदेश दिया गया।**

(ग) उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज होने के कारण 22 दुकानों को निलंबित किया गया है। जन वितरण प्रणाली नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ किया गया है। उनकी अनुज्ञप्ति के संबंध में तभी अग्रेत्तर निर्णय लिया जा सकता है जब वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विशेष लोक अभियोजक, आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा संबंधित थाना से सम्पर्क स्थापित कर सूची उपलब्ध कराते हुए अनुसंधान की अद्यतन स्थिति एवं अभियोजन की अद्यतन स्थिति प्राप्त कर एक पक्ष के अंदर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(ख) ठेला भेण्डरों की विवरणी :– इस अनुमण्डल के अन्तर्गत एक भी ठेला भेण्डर को अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं की गयी है।

(ग) किरासन तेल थोक विक्रेताओं की सूची निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	किरासन तेल थोक विक्रेता का नाम	सम्बद्ध प्रखंड	आवंटित किरासन तेल (लीटर) (माह अक्टूबर 2013 हेतु)
1	2	3	4
01	मे0 वैद्यनाथ प्रसाद एण्ड सन्स, चकिया	मेहसी	1,05,684
02	मे0 महेन्द्र प्रसाद एण्ड सन्स, केसरिया	केसरिया	1,08,399
03	मे0 महेन्द्र प्रसाद एण्ड सन्स, केसरिया	कल्याणपुर	54,101
04	मे0 मन्नालाल राधा कृष्ण, चकिया	चकिया	1,29,550
05	मे0 मन्नालाल राधा कृष्ण, चकिया	कल्याणपुर	1,14,014
कुल योग :–			**5,11,748**

अनमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उपरोक्त किरासन तेल विक्रेताओं का अन्तिमवार निरीक्षण कब किया गया है, से संबंधित संबंधित सूचना एक पक्ष में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(घ) राज्य खाद्य निगम के गोदामों से विभिन्न प्रखंडों की सम्बद्धता निम्नवत् है :–

क्रमांक	**प्रखंड का नाम**	**सम्बद्ध गोदाम का नाम**
1	चकिया	बिहार राज्य खाद्य निगम, चकिया
2	मेहसी	
3	कल्याणपुर	
4	केसरिया	

निरीक्षण के कम में पाया गया कि सभी प्रखण्ड मुख्यालायों में खाद्यान्न भण्डारण हेतु गोदाम उपलब्ध है। नवम्बर माह से सभी प्रखण्डों में खाद्यान्न का उठाव प्रखण्डों में उपलब्ध गोदाम से प्रस्तावित है। अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया के द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में राज्य खाद्य निगम, चकिया का निरीक्षण किया गया है।

(ङ) प्रखंडवार विभिन्न योजनान्तर्गत खाद्यान्न आवंटन (प्रति माह की विवरणी) :–

प्रखंड / कुल पंचायतो / वार्डो की संख्या	कार्यरत्त ज0वि0 प्र0 दूकानों की सं0	**B.P.L** कार्डधारीयों की संख्या	**A.A.Y** के कार्डधारीयों की संख्या	अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत अच्छादित लाभुकों की संख्या	**A.P.L** लाभुकों की संख्या	योजनावार प्राप्त आवंटन प्रत्येक माह के लिये					
						बी0पी0एल		अंत्योदय		अन्नपूर्णा	
						गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल
चकिया / 18	108	24343	5860	294	43851	2403.70	3605.55	820.40	1230.60	17.64	11.76
केसरिया / 18	83	17281	4259	315	36321	1706.30	2559.56	596.26	894.39	18.90	12.60
मेहसी / 13	49	17970	3917	243	34644	1774.40	2661.61	548.38	822.57	14.58	9.72
कल्याणपुर / 24	153	31318	10267	425	34679	3092.00	4638.64	1437.38	2156.07	25.50	17.00
चकिया न0प0 / 12	27	1988	563	22	4658	196.30	294.45	78.82	118.23	1.32	0.58
मेहसी न0प0 / 14	16	2713	794	77	5070	267.80	401.83	111.16	166.74	4.62	3.08
केसरिया न0प0 / 10	09	1159	341	19	3785	114.40	171.66	47.74	71.61	1.14	0.76
कुल	445	96772	26001	1395	163008	9554.90	14333.30	3640.14	5460.21	83.70	55.50

उपरोक्त सरकारी योजनाओं में बी0पी0एल0 कूपनधारियों को 10 किलोग्राम गेहूँ एवं 15 किलोग्राम चावल जिसका उपभोक्ता दर 5.22 रू0 एवं 6.78 रू0 है। इसी प्रकार, अन्त्योदय कूपनधारियो को 14 किलोग्राम गेहूँ एवं 21 किलोग्राम चावल जिसका उपभोक्ता दर 2.00 रू0 एवं 3.00 रू0 है। अनुदानित दर पर प्रतिमाह कूपन अधारित उठाव एवं वितरण किया जाता है जबकि अन्नपूर्णा योजना के लाभुकों को 6 किलोग्राम गेहूँ एवं 4 किलोग्राम चावल मुफ्त में दिया जाता है। यह आवंटन कूपन आधारित आवंटन है जो उपभोक्ताओं को कूपन के आधार पर आपुर्ति की जाती है।

18. राशन किरासन कूपन वितरण वर्ष 2013–14:–

क्रमांक	प्रखंड का नाम	अन्त्योदय योजना			बी0पी0एल0 योजना			ए0पी0एल0 योजना			अन्नपूर्णा योजना		
		प्राप्त	वितरण	अवषेष	प्राप्त	वितरण	अवषेष	प्राप्त	वितरण	अवषेष	प्राप्त	वितरण	अवषेष
1	चकिया	5860	5854	6	24343	24326	17	43851	43798	53	294	288	6
2	मेहसी	4058	4048	10	18562	18534	28	34614	34846	68	248	224	24
3	कल्याणपुर	10267	10267	0	31318	31280	38	34679	34495	184	425	425	0
4	केसरिया	4117	3940	177	16754	16461	293	36321	35458	863	315	302	13
5	न0पं0 केसरिया	483	415	68	1626	1500	126	3785	3705	80	19	15	4
6	न0पं0 मेहसी	653	331	322	2121	1104	1017	5070	2542	2528	77	69	8
7	न0पं0 चकिया	563	563	0	1988	1983	5	4658	4643	15	22	20	2
कुल		26001	25418	583	96712	95188	1524	162978	159487	3791	1400	1343	57

19. पेट्रोल पम्प एजेंसी :– अनुमण्डल क्षेत्र अन्तर्गत पेट्रोल पम्प संचालित एजेंसी की सूची कार्यालय में उपलब्ध है।

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	पेट्रॉल पम्प का नाम	मालिक का नाम एंव पता
01	चकिया	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, चिन्तामनपुर	श्री रामनारायण सिंह , चिन्तामनपुर
02		स्वागत पेट्राल पम्प, रामगढ़वा	श्रीमती सुमित्रा कुँअर, रामगढ़वा श्री जयनारायण सहनी, चिन्तामनपुर श्री रामस्वरूप सिंह, रामगढ़वा
03		जय माता दी हाईवे सर्विस, पीपरा	श्री राधा कृष्ण राम, महुआवा
04		ओम ऑटो मोबाईल, पेट्रॉल पम्प, महुआवा	श्री रणधीर कुमार, महुआवा
05		ऑटो मोबाईल, चकिया	मो0 रासिद जमाल, चकिया
06		हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, चकिया	श्री कृष्णा प्रसाद, चकिया
07		बैधनाथ प्रसाद एण्ड सन्स, चकिया	श्री रमेष प्रसाद, चकिया
08		राधामोहन पेट्रॉल पम्प, चकिया	श्री षिवाजी सिंह, चिन्तामनपुर
09		इण्डियन ऑयल पेट्रॉलियम, परषुरामपुर	श्री अनिल ठाकुर, परषुरामपुर
10		हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, चिन्तामनपुर	श्री रामपुकार सिंह, चिन्तामनपुर
11		इण्डियन ऑयल, पीपरा	श्रीमती निहारिका, जहींगरा
12	चकिया	इण्डियन ऑयल, मणी छपरा	श्री भुपनारायण पाण्डेय, पकड़ी दिक्षीत
13		भारत पेट्रॉलियम, रामकरण पकड़ी	श्रीमती संतोषी कुमारी
14	केसरिया	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, हुसेनी	श्री अषोक कुमार, हुसेनी
15		इण्डियन ऑयल, केसरिया	श्री लक्ष्मीनारायण यादव, केसरिया
16		इण्डियन ऑयल, केसरिया	श्रीमती ममता सिंह, केसरिया
17		हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, केसरिया	श्री उमा ठाकुर, बड़हड़वा खूर्द, केसरिया
18		हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, केसरिया	श्री मणिलाल गुप्ता, जहींगरा
19		हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, मेहसी	मो0 इरसाद

20	मेहसी	जय माता दी, पेट्रॉलियम, मेहसी	श्री प्रभु नारायण, बारागोविन्द, चकिया
21		हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, मेहसी	श्री राधाकृष्ण मन्ना लाल, चकिया

अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे मापतौल पदाधिकारी से सही माप की नियमित रूप से जॉच कराते हुए स्वयं भी पेट्रोल पम्प का निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे।

20. गैस एजेंसी :– अनुमण्डल क्षेत्र अन्तर्गत तीन गैस एजेन्सियाँ है, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	प्रखण्ड का नाम	गैस एजेन्सी का नाम
1	कल्याणपुर	ललीता गैस एजेन्सी (भारत पेट्रॉलियम)
2	केसरिया	जीव राज गैस एजेन्सी (इण्डेन)
3	चकिया	कृष्णनंदन गैस एजेन्सी (इण्डेन)
4	चकिया	मालनी गैस एजेन्सी, चिन्तामनपुर (हिन्दुस्तान पेट्रॉलियम)।

निरीक्षण के कम में निम्नलिखित निर्देश दिया गया :–

(क) सभी उपभोक्ताओं को Home Delivery के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जाए।

(ख) Gas cylinder refilling की रोकथाम हेतु कार्रवाई की जाए।

(ग) गैस एजेंसी में विभिन्न Connections की दर display करें।

(घ) घरेलु सिलेण्डर का उपयोग Commercial purpose में नहीं किया जाए। इसे सुनिश्चित करने हेतु छापामारी करें।

(ड़) गैस एजेंसी की जॉच दण्डाधिकारी के माध्यम से की जाए।

21. लोकसभा/विधानसभा प्रश्न :– लोकसभा/विधानसभा प्रश्नों के लिए पंजी संधारित है। इसमें निष्पादन की अद्यतन प्रविष्टि की गई है। अनुमण्डल कार्यालय से संबंधित उत्तर सामग्री भेजने हेतु एक प्रश्न लंबित दर्शाये गये है:–

क्रमांक	संबंधित प्रश्न	कुल प्राप्त मामले	निष्पादित मामले	लंबित मामले
1	2	3	4	5
1	लोक सभा	1	1	0
2	राज्य सभा	1	1	0
3	विधान सभा	6	4	2
4	विधान परिषद्	0	0	0
	कुल	**8**	**6**	**2**

अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया को लोक सभा/विधान सभा प्रश्न से संबंधित लंबित मामले का निष्पादन यथाशीध्र करने का निदेश दिया गया।

22. माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित वाद :– माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित वाद की पंजी वर्ष 2013 से संधारित है।

क्रमांक	वाद का प्रकार	कुल वाद सं0	तथ्य विवरणी दायर वाद	लंबित वाद
1	2		3	4
1	सी0डब्लु0जे0सी0	02	01	01
2	एम0जे0सी0	01	01	00
3	एल0पी0ए0	01	00	01
	कुल	**04**	**02**	**02**

अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया को माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित लंबित वादों तथ्य विवरणी तैयार कर प्रति शपथ यथाशीघ्र दायर करने का निदेश दिया गया।

23. जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र :– जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदक द्वारा शपथ–पत्र संलग्न कर कार्यालय को आवेदन–पत्र समर्पित किया जाता है, जिसके निष्पादन हेतु संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत को भेजा जाता है। इसके लिए कार्यालय द्वारा एक संचिका संधारित की गई है। वर्ष–2012 एवं 2013 में निर्गत कुल प्रमाण–पत्रों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

वर्ष 2012 एवं 2013

क्रमांक	प्रखंड का नाम	वर्ष 2012	वर्ष 2013	कुल प्रमाण पत्र की संख्या
1.	केसरिया	136	120	256
2.	केसरिया नगर पंचायत	50	50	100
3.	कल्याणपुर	365	43	708
4.	चकिया	361	302	663
5.	नगर पंचायत चकिया	170	165	335
6.	मेहसी	37	37	74
7.	नगर पंचायत मेहसी	51	46	97
कुल		**1170**	**1063**	**2233**

24. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम :–

(क) सामाजिक सुरक्षा पेंशन:– विभिन्न प्रकार के पेंशन से संबंधित योजनावार स्वीकृति निम्न प्रकार से दी गयी है:–

प्रखण्ड का नाम	वेष 15.08.11–31.12.11				01.01.12 से 31.12.12 तक				01.01.13 से 15.10.13 तक			
	प्राप्त	स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित	प्राप्त	स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित	प्राप्त	स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित
कल्याणपुर	517	502	15	0	4234	4024	210	0	3436	2737	41	658
केसरिया	1158	931	7	220	1594	1177	207	210	1069	563	249	257
मेहसी	248	137	32	79	4224	2650	1574	0	1837	1292	545	0
चकिया	320	316	4	0	3328	3304	24	0	1601	1032	273	296
कुल	**2243**	**1886**	**58**	**0**	**13380**	**11155**	**2015**	**210**	**7943**	**5624**	**1108**	**1211**

(ख) जाति/निवास/आय प्रमाण–पत्र:– सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए अलग–अलग पंजी संधारित है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात् जाति/निवास/आय प्रमाण–पत्रों के निष्पादन त्वरित गति से हुई है। वर्षवार विवरणी निम्न प्रकार है:–

(15.08.2011 से 31.12.2011 तक)

प्रमाण पत्र	प्राप्त आवेदनों की सं0	स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित
जाति	299	294	5	0
आय	65	62	3	0
आवासीय	450	440	10	0
कुल	**834**	**816**	**18**	**0**

(01.01.2012 से 31.12.2012 तक)

प्रमाण पत्र	प्राप्त आवेदनों की सं0	स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित
जाति	1433	1435	0	0
आय	270	267	2	0
आवासीय	2078	2069	4	0
कुल	**3791**	**3771**	**6**	**0**

(01.01.2013 से 27.09.2013 तक)

प्रमाण पत्र	प्राप्त आवेदनों की सं0	स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित
जाति	1070	1059	3	8
आय	224	217	6	1
आवासीय	1046	1032	3	11
कुल	**2340**	**2308**	**12**	**20**

<u>(ग) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनाः–</u> वर्ष 2013–14 में सामान्य घटक एवं विशेष घटक में पारिवारिक लाभ योजनान्र्गत आवंटन की राशि विमुक्त की जा सकी है। अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया के द्वारा वर्ष 2013–14 में कुल 216 आवेदनों पत्रों को स्वीकृत किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :–

(1) भौतिक उपलब्धि

क्र0 सं0	योजना का नाम	वर्ष 2011–12		वर्ष 2012–13		वर्ष 2013–14			
		प्राप्त	निष्पादित	प्राप्त	निष्पादित	प्राप्त	निष्पादित	लंबित	अस्वीकृत
01	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	191	191	147	147	216	183	10 (त्रुटि पूर्ण)	23

(1) वित्तीय उपलब्धि (लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	पूर्व से शेष राशि	वर्ष 2011–12			शेष राशि
			प्राप्त	कुल	स्वीकृत	
01	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ	20.00	18.00	38.00	19.10	18.90

वर्ष 2012–13				वर्ष 2013–14			
प्राप्त	कुल	वितरित	शेष राशि	प्राप्त	कुल	वितरित	शेष राशि
शून्य	18.90	16.60	2.30	35.50	37.80	33.00	4.80 (विशेष घटक)

निरीक्षण के कम में पाया गया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के विशेष घटक में 4.80 रूपये अवशेष है। अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि नियमानुसार उक्त राशि का वितरण यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करें।

25. मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना :– अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में प्राप्त ट्राई साइकिल तथा व्हील चेयर वितरण के पश्चात मात्र 09 ट्राई साइकिल अवशेष है।

अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उक्त ट्राई साइकिल का वितरण योग्य लाभार्थियों के बीच शीघ्र करना सुनिश्चित करें।

26. सूचना का अधिकार :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना पदाधिकारी एवं अपीलीय पदाधिकारी का अलग–अलग पंजी संधारित है, जिसके तहत प्राप्त वादों एवं निष्पादन की स्थिति वर्षवार निम्न प्रकार है:–

क्रमांक	वर्ष	लोक सूचना पदाधिकारी को संबोधित		अपीलीय प्राधिकार को संबोधित	
		प्राप्त आवेदन की सं0	निष्पादित आवेदन की संख्या	प्राप्त आवेदन की सं0	निष्पादित आवेदन की संख्या
1	2011–12	16	16	39	33
2	2012–13	19	19	103	90
3	2013–14 (15.10.2013 तक)	20	20	50	22

27. विकास मित्र :– विकास मित्र के नियोजन से संबंधित पंजी संधारित है।

28. न्यायालय कार्य :– अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय में अब तक दायर एवं निष्पादित वादों की स्थिति निम्न प्रकार है:–

क्र.	वादों का प्रकार	दिनांक 01.04.2013 को लंबित वाद	दिनांक 15.10.2013 तक दायर वाद	कुल दायर वाद	विगत माह तक निष्पादित वाद	प्रतिवेदित माह में निष्पादित वाद	कुल निष्पादित वाद	कुल लंबित वाद
1	द0प्र0स0 की धारा 107	135	404	539	185	06	348	191
2	द0प्र0स0 की धारा 110	–	–	–	–	–	–	–
3	द0प्र0स0 की धारा 144	25	109	134	107	06	113	21
4	द0प्र0स0 की धारा 145	25	30	55	04	–	04	51
5	द0प्र0स0 की धारा 133	21	05	26	26	–	26	–
6	द0प्र0स0 की धारा 147	–	07	07	–	–	–	07
	कुल योग	206	555	761	322	12	491	270

इस अनुमण्डल में कोई भी भू–हदबंदी, निलाम पत्र वाद, न्युनतम मजदुरी अधिनियम वाद लंबित नहीं है।

29. निर्वाचन :– भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 01.01.2014 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 02.09.2013 को किया गया है। सेवा मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु बी0एल0ओ0 के पास जाँच हेतु भेजा गया है। फोटो अच्छादन कार्य शत–प्रतिशत किया गया है। दिनांक 26.09.2013 तक बी0एल0ओ0 से प्राप्त प्रपत्र–6, प्रपत्र–7 एवं प्रपत्र–8 की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

विधान सभा क्षेत्र का नाम	प्रपत्र–6		प्रपत्र–7		प्रपत्र–8	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
17–पिपरा	8546	7537	462	378	861	683
16–कल्याणपुर	2250	1931	289	305	516	611

30. कृषि योग्य भूमि का सम्परिवर्त्तन :– बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजन के लिये सम्परिवर्त्तन) अधिनियम, 2010 की धारा–3 उपधारा (2) के अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि का गैर कृषि उपयोग में सम्परिवर्त्तन करने हेतु अनुमति के लिए प्रारम्भ से लेकर दिनांक–18.10.2013 तक कुल 18 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 13 आवेदन का निष्पादन कर आवेदक से मो0 7,39,572.00 का राजस्व प्राप्त हुआ है। जिसे लाभुक द्वारा ही चालान के माध्यम से कोषागार में जमा किया गया है।

क्रमांक	कुल दायर मामलें दिनांक 31.03.2013 तक	कुल दायर मामले दिनांक 01.04.2013 से 18.10.2013 तक	कुल प्राप्त मामले	कुल निष्पादित मामले	कुल लंबित मामले	31.03.2013 तक भू सम्परिवर्त्तन शुल्क मद में प्राप्त राशि	01.04.2013 से 18.10.2013 तक भू सम्परिवर्त्तन शुल्क मद में प्राप्त राशि	अबतक कुल प्राप्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	14	04	18	13	5	7,09,922.00	29,650.00	7,39,572.00

31. नजारत :– अनुमण्डल नजारत में शीर्षवार सहायक रोकड़ पंजी तथा सामान्य रोकड़ पंजी संधारित है। रोकड़ पंजियाँ दिनांक 02.09.2013 तक लिखी गई है तथा हस्ताक्षरित है। सामान्य रोकड़ पंजी के अनुसार दिनांक 02.09.2013 तक शीर्षवार एवं अवशेष राशि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रमांक	शीर्ष का नाम	अवशेष राशि (रूपये में)
1	2053 जिला प्रशासन	1,45,831.86
2	2029 भू0 राजस्व	1,73,664.80
3	डी0आर0डी0ए0	5,071.40
4	2245 सहाय्य	12,800.00
5	2055 पु0 प्र0	39,500.00
6	रा0ग्रा0रो0ग्रा0 योजना	289.00
7	गृह निर्माण	25,607.00
8	पंचायत चुनाव	2,01,768.00
9	2071 पेंशन	0.00
10	2230 श्रम रोजगार	50,000.00
11	8011 ग्रुप बीमा	0.00
12	सूद	1,32,467.96
13	2235 सामाजिक सुरक्षा	2,24,952.40
14	8005 भविष्य निधि	0.00
15	3456 आपूर्ति	55,182.70
16	2015 निर्वाचन	12,07,132.92
17	परीक्षा समिति	4,42,741.00
18	2225 कल्याण	11,19,460.00

			25.05
19	इन्दिरा आवास		432.00
20	चरवाहा विद्यालय		0.00
21	इन्दिरा आवास विशेष घटक		38,36,926.65
	कुल योग :–		

32. बैंक विवरणी :–

		07,68,621.23
1	भारतीय स्टेट बैंक, चकिया (खाता सं0 11373986245)	6,999.16
2	भारतीय स्टेट बैंक, चकिया (खाता सं0 11374058396	3,507.00
3	CBI, Chakia A/C N0.- 1126	2,87,930.00
4	अग्रिम	23,91,368.88
5	अभिश्रव	00.38
6	नगद	3,78,500.00
7	निर्गत चेक	38,36,926.65
	कुल योग :–	

सामान्य रोकड़ पंजी एवं सहायक रोकड़ पंजी के निरीक्षण के कम में अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया को निम्नलिखित निर्देश दिए गये :–

(1) शीर्ष 5071 डी0आर0डी0ए0 मद में अवशेष राशि–5,071.40 रूपये को चेक के माध्यम से डी0आर0डी0ए0 को लौटाकर सहायक रोकड़ पंजी को बंद करने का निदेश दिया गया।

(2) गृह निर्माण :– अभिलेख एवं पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचलाधिकारी, मेहसी के कार्यालय में संचालित गृह निर्माण योजना संख्या–47/2001, राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता के विरूद्ध दायर नीलाम पत्रवाद से वसूल की गई राशि–25,607.00 रूपये अनुमंडल नजारत में जमा किया गया है। इसके संबंध में बताया गया कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा राशि वसूल कर उपलब्ध कराई गई है। अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से पत्राचार कर राशि लौटाकर सहायक रोकड़ पंजी को बंद करने का निदेश दिया गया।

(3) पंचायत निर्वाचन :– इस मद में 2,01,768.00 रूपये अवशेष दिखाया गया है। इस राशि को कोषागार में चालान के माध्यम से जमा करने का निदेश दिया गया।

(4) शीर्ष 2030 श्रम रोजगार :– इस मद में 50,000.00 रूपये अवशेष है। इस राशि के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला कोषागार के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया को राज्य वृद्धावस्था पेंशन मद में आवंटन प्राप्त हुआ है। निरीक्षण के कम में पाया गया कि अनुमंडल कार्यालय के नजारत में 23,91,368.88 रूपये का अभिश्रव उपलब्ध है। अतः इस मद में उपलब्ध राशि को उस वर्ष के अभिश्रव में समायोजित कर इसे खत्म करने का निदेश दिया गया।

(5) परीक्षा समिति :– इस मद में 4,42,741.00 रूपये अवशेष दिखाया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया के द्वारा बताया गया कि यह राशि विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त राशि है, जिसे संबंधित दण्डाधिकारियों को भुगतान किया जाना है। उन्हें निदेश दिया गया कि इस राशि को सभी संबंधित को भुगतान कर यदि राशि अवशेष बचता है तो चेक के माध्यम से जिला नजारत को लौटाना सुनिश्चित करें।

(6) इंदिरा आवास :– इस मद में 25.05 रूपये अवशेष दर्शाया गया है। इस अवशेष राशि को चेक के माध्यम से उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण को लौटाने का निदेश दिया गया।

(7) शीर्ष 2245 सहाय्य :– इस मद में 12,800.00 रूपये अवशेष है। बताया गया कि यह राशि अलाव जलाने हेतु प्राप्त हुआ था। नाजिर के द्वारा बताया गया कि इस राशि का अभिश्रव प्राप्त हो गया है। अतः इस पंजी को बंद करने का निदेश दिया गया।

(8) चरवाहा विद्यालय में 432.00 रूपये अवशेष पाया गया। इस राशि को चेक के माध्यम से उप विकास आयुक्त को लौटाकर सहायक रोकड़ पंजी बंद करने का निदेश दिया गया।

(9) अनुमंडल नजारत के शीर्ष 2071 पेंशन, 8011 ग्रुप बीमा एवं इन्दिरा आवास विशेष घटक में अवशेष राशि शून्य पाया गया। अतः इन तीनों शीर्षों के सहायक रोकड़ पंजी को बन्द करने का निर्देश दिया गया।

(11)

(11)

समीक्षा के कम में पाया गया कि अनुमंडल नजारत के द्वारा बैंकों में तीन खाता का संचालन किया जाता है। खाता संख्या–11373986245, भारतीय स्टेट बैंक, चकिया में अधिकांश राशि रखा गया है। खाता संख्या–11374058396 भारतीय स्टेट बैंक, चकिया एवं खाता संख्या–1126, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चकिया में छोटी–छोटी राशि रखा गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया को निदेश दिया गया कि अनावश्यक रूप से रखे गये राशि का खाता खत्म करना सुनिश्चित करें।

निरीक्षण के कम में अग्रिम की राशि का समायोजन करने के लिए एक माह का समय दिया गया। तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

33. डी0सी0 विपत्र :– बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2012–13 तक का कोई भी डी0सी0 विपत्र लंबित नहीं है।

34. निष्कर्ष :– कार्यालय परिसर साफ है। वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्यालय प्रबंधन संतोषजनक है। निरीक्षण के कम में दिए गये सभी निर्देशों का निर्धारित समय सीमा में अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

18.11.13

(श्रीधर सी0)
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

ज्ञाप संख्या– 2159 / गो0 मोतिहारी, दिनांक– 18 वीं नवम्बर, 2013

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण / अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण / निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी चम्पारण / नजारत उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण / कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी / सहायक निदेशक, समाजिक सुरक्षा कोषांग, मोतिहारी / सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.11.13

(श्रीधर सी0)
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

ज्ञाप संख्या– 2159 / गो0 मोतिहारी, दिनांक– 18 वीं नवम्बर, 2013

प्रतिलिपि– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

18.11.13

(श्रीधर सी0)
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

(11)